उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 65वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 20.05.2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522. 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को सम्पन्न हुई 65वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य / सचिव
3. श्री मदन राजा मौर्या, संयुक्त निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) —सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) —सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) —सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) —सदस्य

विशेष आमंत्रीः—

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री आर0 आर0 सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
5. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
7. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
8. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
10. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 64वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.03.2021 को सम्पन्न हुई 64वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 64वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.03.2021 को सम्पन्न 64वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।**

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.03.2021 को सम्पन्न हुई 64वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **यूपीडा में Techno-Legal Cell का गठन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

मुख्य महाप्रबन्धक (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में यूपीडा में एक्सप्रेसवे निर्माण की तीन परियोजनायें गतिमान है, जिनमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 90%, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 58% तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 22% पूर्ण हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की डी.पी.आर. गठित की जा रही है।

उक्त परियोजनाओं के अलावा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण हुये लगभग तीन वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा वर्तमान में इसका अनुरक्षण परियोजना के निर्माणकर्ताओं के द्वारा डिफेक्ट लायॅबिलिटी पीरियड के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना के पांच पैकेजों में से पैकेज संख्या–05 के निर्माणकर्ता मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड द्वारा रू0 288.12 करोड का आर्बीट्रेशन केस किया गया है, जिसकी पैरवी यूपीडा के संम्बन्धित तकनीकी स्टाफ द्वारा सीनियर एडवोकेट श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा पैकेज संख्या–02 व 04 के निर्माणकर्ता मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा यूपीडा को Dispute Resolution Clause के अंतर्गत नोटिस भेजते हुये कमशः रू0 344.75 करोड़ व रू0 443.83 करोड़ का भुगतान उनके अनुसार बकाया विविध लेनदारियों हेतु करने की मांग की गई है अन्यथा उनके द्वारा भी आर्बीट्रेशन प्रारम्भ किये जाने से अवगत कराया गया है।

वर्तमान में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे से सम्बन्धित सभी कार्य नियमित मुख्य अभियन्ता के अलावा एक मुख्य महाप्रबन्धक, एक महाप्रबन्धक तथा एक सहायक अभियन्ता द्वारा देखे जा रहे है। यूपीडा में तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण सभी स्तर के अधिकारी एक से अधिक परियोजनाओं से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन कर रहें है, जिससे समयाभाव व जानकारी के अभाव के कारण आर्बीट्रेशन के प्रकरणों में चूक होने की सम्भावना बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि जो एक्सप्रेसवे परियोजनायें वर्तमान में गतिमान है, उनके पूर्ण होने के पश्चात् आर्बीट्रेशन प्रकरणों में बढ़ोत्तरी होने की पूर्ण सम्भावना है।

वर्तमान परिदृश्य में यूपीडा के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक होगा कि Contract Agreement से सम्बन्धित Techno Legal प्रकरणों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार या मांगे जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों को सुझाव व संस्तुति देने, Dispute Resolution, Arbitration तथा कोर्ट केस सम्बन्धी प्रकरणों में समय से उत्तर/Counter Claim तैयार कराने, तैयार उत्तरों का Techno Legal परीक्षण कर Mediator/Arbitration Tribunal/Court में दाखिल करवाने तथा केसो की प्रभावी पैरवी करने आदि विविध कार्यो हेतु एक Dedicated Techno–Legal Cell की स्थापना की जाय। पूर्व में सम्पन्न निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 15.07.2008 के एजेण्डा बिन्दु संख्या–03(II) में यह निर्णय लिया गया था, कि प्राधिकरण में विधि सम्बन्धित कार्य देखने के लिये किसी प्रतिष्ठित लॉ फर्म की सेवायें प्राप्त करने पर विचार कर लिया जायें।

Techno–Legal Cell की संरचना निम्नवत् प्रस्तावित है:–

कम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक	1 नं0
2	अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक	1 नं0
3	अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबन्धक (यह पद कार्य की आवश्यकतानुसार कम/अधिक किये जा सकेंगे)	2 नं0
4	सहायक अभियन्ता/प्रबन्धक (यह पद कार्य की आवश्यकतानुसार कम/अधिक किये जा सकेंगे)	2 नं0
5	प्रतिष्ठित लॉ फर्म/वरिष्ठ एडवोकेट (इनकी सेवायें नियमित रूप से या कार्य की आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी)	
6	यूपीडा के उपरोक्त स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार अनुसेवक, कम्प्यूटर आपरेटर आदि	

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>

उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों को संकलित कर उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाये तथा शासन से अनुरोध किया जाये कि न्याय विभाग के साथ प्रकरणों के सम्बन्ध में एक बैठक आहूत कर परामर्श प्राप्त कर लिया जाये तथा प्रत्येक तीन माह पर शासन स्तर से आर्बीट्रेशन के प्रकरणों की समीक्षा भी सुनिश्चित की जायें। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि किसी लॉ फर्म का चयन किया जाये न की किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का चयन किया जायें। उक्त पर निदेशक मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई तदोपरान्त निदेशक मण्डल प्रस्ताव को उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–04:–</u>

<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के संरेखण में स्थित **NTPC** औरैया पावर प्रोजेक्ट से निकलने वाली **MPPTCL** की 220 के0वी0 डबल सर्किट औरैया–मालनपुर, मेगांव पारेषण लाइन की शिफ्टिंग का कार्य प्रतिपूर्ति के आधार पर यूपीडा की कार्यदायी संस्था से करवाने हेतु निदेशक मण्डल से अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये यह निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित कार्य न्यूनतम दरों पर कराये जाये एवं प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–05:–</u>

<u>**Proposal for Advance payment against works executed under Change of Scope notice in Bundelkhand Expressway.**</u>

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सम्मुख मुख्य अभियन्ता बुन्देलखण्ड एक्प्रेसवे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमे अनुरोध किया गया था कि परियोजना के हित में चेंज आफॅ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहें कार्यों में पूर्ण हो चुके कार्यो के सापेक्ष 60 प्रतिशत भुगतान किया जाना उचित होगा। सम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह अनुमोदित किया गया की चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यो के विरूद्व 60 प्रतिशत भुगतान किया जाना उचित होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया की चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो को 02 माह में पूर्ण कर लिया जायें।

एजेण्डा बिन्दु–06:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति

कार्यवाही / निर्णय

मुख्य अभियन्ता द्वारा सदस्यों को बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का लगभग 58 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2021 तक बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर परिवहन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उक्त का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के सभी 04 Wayside Amenitiesमें चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत टॉयलेट ब्लॉक बनाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के सभी 04 Wayside Amenities में चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत टॉयलेट ब्लॉक बनाये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जन सामान्य की माँग व स्थल की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यों के लिए ई0पी0सी0 ठेकेदारों को उनके अनुबन्ध के क्लाज 13 के अन्तर्गत अनुमोदनोपरान्त अथॉरिटी इन्जीनियर द्वारा चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस निर्गत की गई है

उक्त चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) नोटिस के क्रम में ई0पी0सी0 ठेकेदारों द्वारा विस्तृत गणना के आधार पर आगणन प्रेषित किये जाने है जिनके परीक्षण व स्वीकृति के पश्चात् निदेशक मण्डल को पुनः अवगत कराया जायेगा।

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–09:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्यतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 15.05.2021 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण:–

कार्यवाही / निर्णय

श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार द्वारा निदेशक मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों को माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चत्म न्यायालय में प्रचलित वादों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित कुल 304 वादों में से 193 वाद निस्तारित हो चुके है तथा लंबित वादों की संख्या 111 है

एवं प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु 04 वादों में यूपीडा के नामित अधिवक्ता द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार कराया जा रहा है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में कुल योजित 218 वादों में से 164 वाद निस्तारित हो चुके है तथा 54 वाद अवशेष है सभी वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। जिसपर निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–10:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यक आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री राजेश कुमार चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	26.03.2021	06 माह	26.09.2021	सं0–16396/यूपीडा/888/18/अधि0 दिनांक 09.03.2021
2.	श्री ईशान देव गिरि	कनिष्ठ अधिवक्ता	10.02.2021	06 माह	10.08.2021	सं0–16397/यूपीडा/1802/20/अधि0 दिनांक 09.03.2021
3.	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी	13.03.2021	एक वर्ष	13.03.2022	सं0–16398/यूपीडा/795/17/अधि0 दिनांक 09.03.2021
4.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	लेखाकार कम कैशियर	11.03.2021	06 माह	11.09.2021	सं0–16399/यूपीडा/1682/20/अधि0 दिनांक 09.03.2021
5.	श्री बृजभूषण पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक (अधिष्ठान)	18.03.2021	03 माह	18.06.2021	सं0–16484/यूपीडा/1471/19/अधि0 दिनांक 12.03.2021
6.	श्री राधेश्याम विश्वकर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	02.03.2021	06 माह	02.09.2021	सं0–16589/यूपीडा/1666/20/अधि0 दिनांक 16.03.2021
7.	श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	29.01.2021	06 माह	29.07.2021	सं0–16612/यूपीडा/1789/20/अधि0 दिनांक 17.03.2021
8.	श्री अमर नाथ	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरीडोर)	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16609/यूपीडा/1470/19/अधि0 दिनांक 17.03.2021
9.	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	08.03.2021	06 माह	08.09.2021	सं0–16614/यूपीडा/1238/19/अधि0 दिनांक 17.03.2021
10.	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ सहायक नजारत	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16613/यूपीडा/1472/19/अधि0 दिनांक 17.03.2021
11.	श्री रमेश चन्द्र दुबे	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.03.2021	06 माह	27.09.2021	सं0–16771/यूपीडा/844/18/अधि0 दिनांक 23.03.2021
12.	श्री हिरामन राम	लेखाकार कम कैशियर	18.03.2021	06 माह	18.09.2021	सं0–16770/यूपीडा/1081/18/अधि0 दिनांक 23.03.2021
13.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	14.03.2021	06 माह	14.09.2021	सं0–16772/यूपीडा/1946/20/अधि0 दिनांक 23.03.2021
14.	श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	सहायक राजस्व अधिकारी	14.04.2021	06 माह	14.10.2021	सं0–16781/यूपीडा/1193/18/अधि0 दिनांक 24.03.2021
15.	श्री शशि कान्त मिश्रा	सुरक्षा अधिकारी	05.04.2021	06 माह	05.10.2021	सं0–16856/यूपीडा/1866/20/अधि0 दिनांक 25.03.2021
16.	श्री के0के0सिंह बिसेन	विशेष कार्याधिकारी	02.04.2021	एक वर्ष	02.04.2022	सं0–16894/यूपीडा/405/15/अधि0 दिनांक 26.03.2021
17.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	31.03.2021	06 माह	31.09.2021	सं0–16926/यूपीडा/1237/19/अधि0 दिनांक 30.03.2021
18.	श्री सूर्यकान्त द्विवेदी	सुरक्षा अधिकारी	05.04.2021	06 माह	05.10.2021	सं0–16956/यूपीडा/1887/20/अधि0 दिनांक 31.03.2021

19.	श्री जितेन्द्र नाथ तिवारी	राजस्व सहायक	15.03.2021	03 माह	15.06.2021	सं0–78 / यूपीडा / 1223 / 19 / अधि0 दिनांक 05.04.2021
20.	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	फारेस्टर	21.03.2021	06 माह	21.09.2021	सं0–168 / यूपीडा / 1854 / 20 / अधि0 दिनांक 09.04.2021
21.	श्री मोहन चन्द्रमठपाल	फारेस्टर	21.03.2021	06 माह	21.09.2021	सं0–167 / यूपीडा / 1857 / 20 / अधि0 दिनांक 09.04.2021
22.	श्री दयाराम यादव	लेखाकार कम कैशियर	24.04.2021	06 माह	24.10.2021	सं0–260 / यूपीडा / 1083 / 18 / अधि0 दिनांक 22.04.2021
23.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	फारेस्टर	21.03.2021	06 माह	21.09.2021	सं0–259 / यूपीडा / 1855 / 20 / अधि0 दिनांक 22.04.2021
24.	श्री के0एन0निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.04.2021	06 माह	24.10.2021	सं0–261 / यूपीडा / 1083 / 18 / अधि0 दिनांक 22.04.2021
25.	श्री दुर्गेश उपाध्याय	मीडिया सलाहकार	30.04.2021	एक वर्ष	30.04.2022	सं0–352 / यूपीडा / 914 / 18 / अधि0 दिनांक 30.04.2021
26.	श्री मनोहर सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	30.04.2021	06 माह	30.10.2021	सं0–354 / यूपीडा / 1086 / 18 / अधि0 दिनांक 30.04.2021
27.	श्री अवधेश कुमार	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.05.2021	06 माह	04.11.2021	सं0–353 / यूपीडा / 1613 / 19 / अधि0 दिनांक 30.04.2021
28.	श्री आनन्द बिहारी सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.04.2021	06 माह	28.10.2021	सं0–356 / यूपीडा / 1875 / 20 / अधि0 दिनांक 30.04.2021
29.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक विधि	13.05.2021	06 माह	13.11.2021	सं0–403 / यूपीडा / 347 / 14 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
30.	श्री निर्मल राम नागर	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	11.04.2021	06 माह	11.10.2021	सं0–405 / यूपीडा / 828 / 18 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
31.	श्री जय प्रकाश सिंह	सलाहकार (भू–अर्जन)	11.05.2021	06 माह	11.11.2021	सं0–406 / यूपीडा / 705 / 17 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
32.	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0–401 / यूपीडा / 1539 / 19 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
33.	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	19.05.2021	06 माह	19.11.2021	सं0–402 / यूपीडा / 1537 / 19 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
34.	श्री सोवरन सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.04.2021	06 माह	28.10.2021	सं0–404 / यूपीडा / 1874 / 20 / अधि0 दिनांक 10.05.2021
35.	श्री एन0एन0श्रीवास्तव	महाप्रबन्धक (सिविल)	06.03.2021	03 माह	06.06.2021	सं0–426 / यूपीडा / 1236 / 19 / अधि0 दिनांक 12.05.2021

2. **यूपीडा के पत्रों द्वारा औद्योगिक विकास विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में संविदा पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 65वीं बोर्ड की बैठक 20.05.2021 में प्राप्त किया गया:–**

यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्तियाँ की गयी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1.	श्री रमेश नाथ सिंह	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	06 माह	05.04.2021	सं0–75 / यूपीडा / 2039 / 21 / अधि0 दिनांक 05.04.2021
2.	श्री आर0आर0सिह	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	06 माह	11.02.2021	सं0–249 / यूपीडा / 2043 / 21 / अधि0 दिनांक 20.04.2021
3.	श्री विनोद कुमार जैन	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	06 माह	—	सं0–248 / यूपीडा / 2044 / 21 / अधि0 दिनांक 20.04.2021

3. यूपीडा में कार्यरत श्री बी0एस0दुबे, सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल) को प्रतिमाह मोबाईल भत्ता की प्रतिपूर्ति किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन 65 वीं बोर्ड मण्डल की बैठक दिनांक 20.05.2021 में निर्णय लिया जाना है, विवरण निम्नवत् है:–

यूपीडा में तैनात श्री बंशीधर सीताराम दुबे, सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल) की नियुक्ति कार्यालय आदेश संख्या–1634/यूपीडा/776/17/अधि0 दिनांक 28.08.2017 द्वारा अधिकतम 06 माह के लिए रू0 75,000.00/– प्रतिमाह नियत वेतन (सकल भुगतान) पर संविदा पर की गयी थी। श्री दुबे को रू0 75,000.00/– नियत वेतन (सकल भुगतान) देय होगा, उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या–2438/यूपीडा/780/17/ अधि0 दिनांक 29.08.2018 द्वारा श्री दुबे का संविदा वेतन रू0 100000 (एक लाख) प्रतिमाह नियत किया गया है, अन्य सेवा शर्तें पूर्व नियुक्ति आदेश के अनुसार यथावत् रहेगीं।

उल्लेखनीय है कि यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या–16784/यूपीडा/116/08/द्वितीय/अधि0 दिनांक 24.03.2021 के क्रमांक–12 पर श्री बी0एस0दुबे, सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल) को मोबाईल भत्ता रू0 1000/–स्वीकृत हो गया है, जबकि नियुक्ति आदेश के अनुसार श्री दुबें को सकल भुगतान रू0 100000/–प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। अतः कार्यालय आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा स्वीकृत मोबाईल भत्ता रू0 1000/–की प्रतिपूर्ति की जाये अथवा नही। इस सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में निर्णय लेना चाहें।

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>
एजेण्डा बिन्दु संख्या–10 के उप बिन्दु 01, 02 व 03 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–11:–</u>
<u>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम कुरथौरा तहसील कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर में टायलेट ब्लाक हेतु 0.150 हे0 संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>
निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम कुरथौरा तहसील कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर में टायलेट ब्लाक हेतु 0.150 हे0 संरेखण से अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–12:–</u>
<u>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम इदिलपुर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के 0.9188 हे0 संरेखण से अतिरिक्त भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>
निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के ग्राम इदिलपुर, तहसील मिल्कीपुर, जनपद अयोध्या के 0.9188 हे0 संरेखण से अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–13:–</u>
<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण से प्रभावित जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम गुन्देला, तहसील सरीला के ग्राम उमरिया, ग्राम इटैलिया बाजा, ग्राम बरौली खरका एवं तहसील राठ के ग्राम बहपुर एवं ग्राम–इगुई में अतिरिक्त भूमि क्रय प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>
निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण से प्रभावित जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम गुन्देला, तहसील सरीला के ग्राम उमरिया, ग्राम इटैलिया बाजा, ग्राम बरौली खरका एवं तहसील राठ के ग्राम बहपुर एवं ग्राम–इगुई में अतिरिक्त भूमि क्रय प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–14:–</u>
<u>गंगा एक्सप्रेसवे एवं डिफेन्स कॉरिडोर हेतु संविदा पर वरिष्ठ अधिकारियों हेतु तैनाती।</u>

कार्यवाही / निर्णय

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा डिफेन्स कॉरिडोर एवं अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में यूटीलिटी शिफ्टिंग के कार्य हेतु 02 मुख्य महाप्रबन्धक की आवश्यकता से यूपीडा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया। उक्त पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना में लगभग रू0 5,000/- करोड़ का निवेश आना है एवं निवेशकर्ताओं को आवंटित की जाने वाली भूमि पर लगभग रू0 800/- करोड़ के कार्य जिसमें भूमि का समतलीकरण, बाउण्ड्री वॉल, ट्रांसफार्मर एवं नलकूप की व्यवस्था सभी 06 नोड में की जानी है। इन सभी कार्यों के लिए अभी तक यूपीडा में किसी भी तकनीकी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। अन्य परियोजनाओं के मुख्य महाप्रबन्धक इस कार्य को पर्यवेक्षित कर रहें है। अतः अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा निदेशक मण्डलक के सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के दृष्टिगत 01 मुख्य महाप्रबन्धक के पद का औचित्य प्रतीत होता है।

अधिष्ठान के प्रस्ताव के अनुसार डिफेन्स कॉरिडोर में रिक्त रक्षा विशेषज्ञ का पद जो वर्तमान में रिक्त है का पदनाम तकनीकी श्रेणी का था को परिवर्तित करके मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर) किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार सभी परियोजनाओं में यूटीलिटी शिफ्टिंग का कार्य जो लगभग रू0 2000/- करोड़ का है। वर्तमान में 01 अधीक्षण अभियन्ता (सेवानिवृत्त) द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कार्य के आधिक्य को देखते हुए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा 1 मुख्य महाप्रबन्धक विद्युत के पद पर परियोजनाओं में यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य हेतु तैनाती कर सहमत व्यक्त की साथ ही सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि परियोजनाओं को स-समय पूर्ण करने के लिये यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य को गति दिया जाना आवश्यक है। अतः 02 अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबन्धक की भी आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः अधिष्ठान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर साम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा डिफेन्स कॉरिडोर में रिक्त रक्षा विशेषज्ञ के पद को मुख्य महाप्रबन्धक तकनीकी (डिफेन्स कॉरिडोर) परिवर्तित करने पर सहमति व्यक्त की साथ ही यूटीलिटी शिफ्टिंग के कार्य हेतु 01 मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक एवं 02 अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ प्रबन्धक की तैनाती की सहमति व्यक्त की एवं अधिष्ठान के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु-15:-

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद में यूपीडा की पूर्व अधिवक्ता श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी के स्थान पर सुश्री सनम त्रिपाठी को तथा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूम में श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी को सम्बध किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही / निर्णय

श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी को वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री सनम त्रिपाठी को यूपीडा की अधिवक्ता के रूप में सम्बद्ध किये जाने एवं उनकी देय शुल्क का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

श्री पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता को दिल्ली में प्रति दो घण्टे Hearing में भाग लेने हेतु रू0 7.50 लाख तथा दिल्ली से बाहर प्रति Appearance हेतु रू0 25.00 लाख फीस के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि यह फीस अधिक है तथा इसे कम कराया जाये।

एजेण्डा बिन्दु–16:– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा अरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज सं0–5 के कॉन्ट्रेक्टर (लार्सन एण्ड टुब्रो लि0) द्वारा विवादित भुगतान दावों से सम्बन्धित ऑर्बिट्रेशन की प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया जिसका संज्ञान निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी(यूपीडा) का आय व्ययक।

सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष में उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप में निम्नवत् है:–

(धनराशि करोड में)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर/ वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	250.00	52.00	20.00	
	योग		250.00	52.00	20.00	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1106.79	400.00	300.00	
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	300.00	300.00	300.00	
	योग		1406.79	700.00	600.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	840.00	124.40	35.40	
		अनुदान संख्या–7	941.68	235.42		
	योग		1781.68	359.82	35.40	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	607.48	300.00	200.00	
		भूमि कय	252.34			
	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	0.00			
	योग		859.82	300.00	200.00	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	57.75	11.95	2.71	
			57.75	11.95	2.71	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	1435.86	500.00	350.00	
		भूमि कय	55.85	0	0	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	400.00	400.00	400.00	
	योग		1891.71	900.00	750.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	329.50	52.11	15.39	
	योग		329.50	52.11	15.39	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	0.00	0.00	
	योग		150.00	0.00	0.00	
I	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना	भूमि कय हेतु	2200.00			
		भूमि कय हेतु	5000.00			

		यूटीलिटी एवं अन्य व्यय	489.24			
	योग		7689.24	0.00	0.00	
	यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि क्रय हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)		163.62	20.16	20.16	
	योग		163.62	20.16	20.16	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	0.50	0	0	
	योग		0.50	0	0	
	महायोग		14580.61	2396.04	1643.66	

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> — निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु–18:–</u> <u>"पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण में पैकेज–03 के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में पड़ने वाले चैनेज–81+915 पर स्थित फ्लाईओवर के रैम्प लूप में स्थित 11 के0वी0 विद्युतलाइन के विस्थापन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> — **निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना" के संरेखण में पैकेज–03 के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में पड़ने वाले चैनेज–81+915 पर स्थित फ्लाईओवर के रैम्प लूप में स्थित 11 के0वी0 विद्युतलाइन के विस्थापन के प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।**

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:–बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 12.03.2021 के कम में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु मुख्य कार्यपलक अधिकारी यूपीडा द्वारा स्वीकृत भूमि कय प्रस्तावों को निदेशक मण्डल/बोर्ड से स्वीकृत कराये जाने विषयक प्रस्ताव।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> — **श्री सियाराम मौर्या, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत कुल 518 गाँव आच्छादित हैं तथा कुल 2991 हैक्टेअर जमीन क्रय किया जा चुका है और 474 गाँवों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं 44 गाँव के प्रस्ताव लम्बित है। अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि यूपीडा के गर्वनिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी भूमि क्रय के प्रस्तावों (भूमि की दरों/कुल भूमि मूल्य) को यूपीडा की वेबसाइट पर पारदर्शिता बनाये रखने के दृष्टिगत् अपलोड किया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजना के संरेखण से प्रभावित 518 ग्रामों में से जिन 44 ग्रामों के भूमि क्रय के प्रस्ताव जनपदों से प्राप्त नहीं हुये हैं उनको यथाशीघ्र मँगाकर स्वीकृत करा लिया जाये। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु को अनुमोदित किया गया।**

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:–गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत चेंज ऑफ स्कोप प्रदान किये जाने का अनुमोदन।</u>

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत कार्यस्थल की आवश्यकता एवं जन साधारण/जन–प्रतिनिधियों की मांग पर ई.पी.सी. के अनुबन्ध के अंतर्गत आच्छादित कार्यों से इतर अतिरिक्त कार्य "चेंज ऑफ स्कोप" अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रदान किये गये है, जिनका पैकेजवार विवरण निम्नवत् है:–

Package-01 :- Gorakhpur to Phulwariya

Sl. No.	COS Notice No. by Authority Engineer	Date	Structure	Chainage	Appox. Cost	Remarks
1	109	29.10.2020	Flyover with Interchange	36+850	189080000	
2	339	18.03.2021	VUP	000+310	41091597	
3			LVUP	002+905	27014646	
4			VUP	009+218	48875852	
5			LVUP	009+850	27188904	
6			PUP	011+825	15573189	
7			PUP	013+350	19981183	
8			MNB	013+568	179700000	
9			PUP	016+123	17425456	
10			PUP	016+677	15573189	
11			LVUP	021+190	26975348	
12			LVUP	021+365	28348688	
13			LVUP	025+150	36956125	
14			Overpass	028+247	54250000	
15			LVUP	031+960	24607984	
16			PUP	036+480	15573189	
17	378	14.05.2021	Major Bridge	042+680	868000000	
			Total Package-1		**1636215350**	

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित चेंज ऑफ स्कोप की अनुमानित लागत, अनुबन्धित लागत का लगभग 9.22 प्रतिशत आकलित की गयी है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर लिंक एक्सपेसवे पैकज–1 के अनर्गत घाघरा नदी पर प्रस्तावित दीर्घ सेतु के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु सिचाई विभाग गोरखपुर से अनुरोध किया गया था। अधीक्षण अभियन्ता, गन्डक सिचाई कार्य, मंडल–2, गोरखपुर एवं अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड–2, गोरखपुर द्वारा घाघरा नदी के बांयें तट पर स्थित के0एस0एस0 तटबन्ध की सुरक्षा के विषय में आपत्ति की गयी थी। अतः निर्माणकर्ता द्वारा उक्त स्थल पर घाघरा नदी पर सेतु निर्माण हेतु आई0आई0टी0 रूडकी से मॉडल स्टडी कराये जाने का निर्णय लिया गया। आई0आई0टी रूडकी द्वारा सेतु निर्माण हेतु उक्त स्थल पर मॉडल स्टडी सम्पन्न की गयी एवं दिनांक 16.03.2021 को कार्य स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। तत्पश्चात आई0आई0टी रूडकी द्वारा के0एस0एस0 तटबन्ध से 400 मी0 दूरी पर 400 मी0 का अतिरिक्त दीर्घ सेतु बनाये जाने की संस्तुति की गयी। तत्कम में मैसर्स टी0पी0एफ0 जेन्टीसा यूरो स्टूडीओ एस एल, अथारिटी इंजीनियर ,गोरखुपर लिंक एक्सप्रेसवे को चेंज ऑफ स्कोप नोटिस निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया। अनुपालन में आथारटी इजीनियार द्वारा अपने पत्रांक TPF/AE/TL/SCIA037/EPC/2020-21/378 दिनांक 14.05.2021 द्वारा चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत 400 मी स्पान के दीर्घ सेतु बनाये जाने की नोटिस निर्माणकर्ता को निर्गत की गयी।

Package-02 :- Phulwariya to Salarpur (Purvanchal Expressway)

Sl. No.	COS Notice No. by Authority Engineer	Date	Structure	Chainage	Appox. Cost	Remarks
1	92 Construction of Interchange @ 73+310	24.12.2020	VUP	73+310	18407520	
2			Construction of Additional Ramp		94037495	
3			Change in MCW due to VUP @ 73+310		78804894	

4	instead of LVUP		Construction of Toll Plaza with Hybrid ETC		37898878	
5			Change in Barrel Length of PUP & Box Culverts	72+699 73+070 73+640 73+870	22044468	
6	311	03.03.2021	PUP	79+250	7705321	
7			PUP	85+510	5954565	
8			PUP	89+380	11598906	
9	377	14.05.2021	LVUP	74+418	25000000	
			Total Package-2		**301452047**	

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित चेंज ऑफ स्कोप की अनुमानित लागत, अनुबन्धित लागत का लगभग 2.41 प्रतिशत होगी ।

दोनो पैकेजो को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित चेंज ऑफ स्कोप की अनुमानित लागत लगभग रू0 **193,76,67,397/=** आकलित की गयी है जो कि अनुबन्धित लागत का 6.41 प्रतिशत होगी।

उपरोक्त तालिकाओं में दी गई लागत अनुमानित है। 06 कार्यो के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यो की लागत का विवरण निर्माणकर्ताओं द्वारा अथॉरिटी इंजीनियर को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। वास्तविक लागत का विवरण यूपीडा द्वारा परीक्षण एवं चेंज ऑफ स्कोप आर्डर निर्गत किये जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> — उपरोक्तानुसार प्रदान किये गये चेंज ऑफ स्कोप एवं उस पर अनुमानित लागत का सैद्धान्तिक अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यो पर अग्रिम भुगतान करने हेतु अनुमोदन :–</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> — निदेशक मण्डल के सम्मुख मुख्य महाप्रबन्धक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमे अनुरोध किया गया था कि परियोजना के हित में चेंज आफॅ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहें कार्यो में पूर्ण हो चुके कार्यों के सापेक्ष 60 प्रतिशत भुगतान किया जाना उचित होगा। सम्यक विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा यह अनुमोदित किया गया की चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यो के विरूद्व 60 प्रतिशत भुगतान किया जाना उचित होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया की चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो को 02 माह में पूर्ण कर लिया जायें।

बैठक के समापन पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा परियोजना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जो कार्य प्रगति पर है, उनमें कोविड–19 के प्रति सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुये लोगो को जागरूक किया जाये साथ ही समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया गया है, कि मजदूरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ध्यान करें ताकि कार्यो में गतिरोध उत्पन्न न हो। साथ ही कोविड–19 संक्रमण से मजदूरो के बचाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था भी करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार की संस्था राईट्स से क्वालिटि चेंकिंग का कार्य शतप्रतिशत कराया जायें तथा उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आगामी बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये, एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कय/अधिग्रहण किये जा रहें भूमि हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष कुछ जनपदों से वित्तीय आपत्तियां प्राप्त हुई है। प्राप्त आपत्तियों का जनपद वार विवरण तैयार कर आगामी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अतं में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.05.2021 को सम्पन्न हुई 65वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 24.05.2021 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी